बिल का सारांश

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) बिल, 2016

- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया।
- यह बिल प्रौद्योगिकी संस्थान एक्ट, 1961 में संशोधन का प्रयास करता है जिसके तहत विशिष्ट प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाता है।
- बिल तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, धारवाड़, भिलाई और जम्मू में स्थापित छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को एक्ट में शामिल करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त बिल में धनबाद के भारतीय खनन स्कूल को भी एक्ट के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है।
- बिल आईआईटी (भारतीय खनन स्कूल), धनबाद के संस्थापन का प्रावधान करता है। बिल में कहा गया है कि एक्ट में जब तक आईआईटी (भारतीय खनन स्कूल), धनबाद के संबंध में विधान नहीं बनाए जाते, तब तक आईआईटी रुड़की संबंधी विधान लागू रहेंगे।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

रूपल सुहाग
roopal@prsindia.org

19 जुलाई, 2016